भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
Insurance Regulatory and Development Authority of India

प्रेस प्रकाशनी | 23 जून, 2026
Press Release | 23 June, 2026

रु. 800 करोड़ की पालिसीधारकों की शिक्षा और संरक्षण निधि (पीईपीएफ) से संबंधित प्रस्तावित विनियमों पर आईआरडीएआई ने परामर्श-पत्र जारी किया

IRDAI Issues Consultation Paper on the proposed regulations pertaining to ₹800 Crore Policyholders' Education and Protection Fund (PEPF)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने पालिसीधारकों की शिक्षा और संरक्षण निधि (पीईपीएफ) के लिए प्रस्तावित विनियामक ढाँचे पर एक परामर्श-पत्र जारी किया है तथा हितधारकों और जनता के सदस्यों से टिप्पणियाँ और सुझाव आमंत्रित किये हैं।

उक्त पीईपीएफ, रु.800 की मूल निधि (कार्पस) के साथ, आईआरडीएआई द्वारा मार्च 2026 में सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधियों का संशोधन) अधिनियम, 2025 के अधिनियमन के अनुसरण में गठित की गई थी, जिसने आईआरडीए अधिनियम, 1999 में धारा 16क निविष्ट की थी। यह उपबंध पालिसीधारकों की शिक्षा को बढ़ावा देने, पालिसीधारकों के हितों को सुरक्षा प्रदान करने, तथा निर्धारित की जानेवाली अन्य पालिसीधारक-केन्द्रित पहलों को समर्थन देने के लिए एक समर्पित निधि की स्थापना को अनिवार्य (मैंडेटरी) बनाता है।

जैसा कि उक्त अधिनियम में परिकल्पित है, इस निधि में केन्द्र और राज्य सरकारों, आईआरडीएआई और अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान और चंदे, बीमा विधियों के अधीन अर्थदंडों के द्वारा वसूल की गई राशियाँ, तथा विनियमों के द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली अन्य राशियाँ समाविष्ट होती हैं। इस निधि का प्रबंध और उपयोग आईआरडीएआई द्वारा पालिसीधारकों की शिक्षा, संरक्षण और संबंधित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

इस पृष्ठभूमि में, प्रस्तावित विनियम बीमा जागरूकता में वृद्धि करने, पालिसीधारक संरक्षण को मजबूत करने, शिकायत सहायता प्रणालियों में सुधार लाने, तथा बेहतर पालिसीधारक सेवाएँ वितरित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उन्नयन हेतु एक संरचित और धारणीय ढाँचा स्थापित करने की अपेक्षा करते हैं। यह प्रस्तावित है कि इस निधि के कार्पस से उत्पन्न की गई निवेश आय का उपयोग राष्ट्रव्यापी बीमा साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने, शिकायत निवारण व्यवस्थाओं को मजबूत करने, पालिसीधारकों के लिए प्रौद्योगिकी-समर्थित सेवाओं का विकास करने के लिए किया जाए, जिनमें प्राकृतिक विपदाओं और अन्य आपाती स्थितियों के दौरान सक्रिय चेतावनियाँ देना, तथा अदावी बीमा राशियों की खोज और वसूली को सुसाध्य बनाना शामिल है। यह परामर्श-पत्र उक्त निधि के अभिशासन, प्रबंध, उपयोग, और कार्यनिष्पादन की निगरानी करने के लिए एक निधि प्रबंध समिति के गठन का भी प्रस्ताव करता है।

उक्त पीईपीएफ पालिसीधारकों को सशक्त बनाने, उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करने, तथा एक अधिक प्रामाणिक, समावेशी, और आघात-सहनीय बीमा पारिस्थितिक तंत्र (ईको-सिस्टम) के विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थागत व्यवस्था के रूप में परिकल्पित है।

उक्त परामर्श-पत्र पर टिप्पणियाँ और सुझाव आईआरडीएआई को 13 जुलाई, 2026 को या उसके पहले प्रस्तुत किये जा सकते हैं। यह परामर्श-पत्र जनता के द्वारा समीक्षा और प्रतिसूचना (फीडबैक) के लिए आईआरडीएआई वेबसाइट पर [लिंक] उपलब्ध है।

The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) issued a Consultation Paper on the proposed regulatory framework for the Policyholders' Education and Protection Fund (PEPF) and invited comments and suggestions from stakeholders and members of the public.

The PEPF, with a corpus of ₹800 crore, was constituted by IRDAI in March, 2026 pursuant to the enactment of the Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Act, 2025, which introduced Section 16A in the IRDA Act, 1999. The provision mandates the establishment of a dedicated Fund to promote policyholder education, safeguard policyholder interests, and support other policyholder-centric initiatives as may be prescribed.

As envisaged under the Act, the Fund shall comprise grants and donations from the Central and State Governments, IRDAI and other sources, amounts realised through penalties under insurance laws, and such other sums as may be specified through regulations. The Fund is to be administered and utilised by IRDAI for policyholder education, protection, and related purposes.

Against this backdrop, the proposed regulations seek to establish a structured and sustainable framework for enhancing insurance awareness, strengthening policyholder protection, improving grievance support systems, and leveraging technology to deliver better policyholder services. It is proposed that the investment income generated from the Fund corpus be utilised for nationwide insurance literacy and awareness programmes, strengthening grievance redressal mechanisms, developing technology-enabled services for policyholders, including proactive alerts during natural calamities and other emergencies, and creating systems to facilitate tracing and recovery of unclaimed insurance amounts. The consultation paper also proposes the constitution of a Fund Management Committee to oversee the governance, administration, utilisation, and performance monitoring of the Fund.

The PEPF is envisaged as a significant institutional mechanism for empowering policyholders, strengthening consumer confidence, and advancing the development of a more informed, inclusive, and resilient insurance ecosystem.

Comments and suggestions on the consultation paper may be submitted to IRDAI on or before July 13, 2026. The consultation paper is available on the IRDAI website for public review and feedback. **Link.**